लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
005/2026(सू.अ.) (GCMS 2026/005) RTI Portal अपील क्रमांक 340289332339984	05-01-2026	16-01-2026

उनवान

राजू गिरी पिता रतन गिरी गोस्वामी निवासी वार्ड नं. 03, हल्दी घाटी मौहल्ला, आरणी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) (मोबाईल 9602435487)

अपीलार्थीया

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने हेतु RTI Portal के माध्यम से एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 18.11.2025 को लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के यहां प्रस्तुत किया, प्रस्तुत आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में भी लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक/सरिश्ता/प्र. सं./005/2026(सू.अ.)(16.01)/10 दिनांक 05.01.2026 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को प्रेषित करते हुये, प्रकरण में आगामी नियत दिनांक 16.01.2026 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 16.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी नियत दिनांक 16.01.2026 को स्वयं उपस्थित हुआ तथा निवेदन किया कि उसे ऑनलाईन प्रस्तुत आवेदन क्रमांक 340413175540737 दिनांक 18.11.2025 से उसके द्वारा वांछित सूचना उसे आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है। अतः चाही गई सूचना दिलाने का आदेश प्रदान करावें।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2026/01 दिनांक 13.01.2026 से बिन्दुवार टिप्पणी/कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

1. यह सही हैं कि प्रार्थी श्री राजू गिरी गोस्वामी निवासी वार्ड नं. 03, हल्दी घाटी मौहल्ला, आरणी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् आवेदन पत्र दिनांक 18.11.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ हैं।
2. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, जिला कार्यालय के पत्रांक/राजस्व/12–12(38)2025–5817/1954 दिनांक 01.12.2025 से प्राप्त कर इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2025/287 दिनांक 13.01.2026 से प्रार्थी को सूचना निः शुल्क भिजवा दी गई है। (प्रति संलग्न है।)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना–पत्र से वांछित सूचना से प्रार्थी को अवगत करवा दिये जाने से वर्तमान में इस प्रकरण पर इस कार्यालय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है जिससे प्रकरण पर अपील निस्तारण योग्य है।

4. यह कि प्रार्थी को वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवा दी गई हैं, अतः अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाने का श्रम करावें।

रिबटल में अपीलार्थी श्री राजू गिरी गोस्वामी ने निवेदन किया कि उसे आदिनांक तक जरिये डाक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः सूचना दिलावें। इस पर लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपीलार्थी को ड़ाक से प्रेषित सूचना की एक अतिरिक्त प्रति ओर उपलब्ध कराई।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2026/287 दिनांक 13.01.2026 से निः शुल्क प्रेषित की जा चुकी है किन्तु अपीलार्थी द्वारा उसे जरिये ड़ाक से प्रेषित सूचना उपलब्ध नहीं होने का निवेदन करने पर लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा वांछित सूचना की एक अतिरिक्त प्रति अपीलार्थी को ओर उपलब्ध करा दी गई जिससे हस्तगत अपील मे अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ तथा अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क प्रेषित की जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(आलोक रंजन)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)